गए थे। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली की समस्या से बेहाल है, तो क्या केन्द्रीय सरकार को यह प्रोजेक्ट NTPC को नहीं दे देना चाहिए या उत्तर प्रदेश सरकार को इसे खुद बना लेना चाहिए।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि दादरी (उ.प्र.) में पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार अधिगृहीत की गई जमीन को अपने अधिकार से लेकर उस पर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की कार्यवाही तत्काल शुरू करे, जिससे प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : سر، میرا اسپیشل مینشن، یوپی۔ میں پاور کرائسس اور شورٹیج سے متعلق ہے۔

سر، 21 جولائی ہندوستان ٹائمس میں اشتہار کے ذریعے اتر پردیش نے گھوشنا پتر جاری کیا ہے، جس میں سارے پاور پروجیکٹس کا بیوا دیا ہے۔ اس پتر میں دادری پاور پروجیکٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ 2003 میں سرکار نے 2500 ایکڑ کسانوں کی اپجاؤ زمین ان سے حاصل کرکے کمپنی کو اپلبدھ کرا دی تھی۔ آج 2009 میں یہ پروجیکٹ صرف پیپر پر ہی ہے۔ کسانوں کا بہت بڑا آندولن ہوا تھا اور وہ جیل بھی گئے تھے۔ اترپردیش کی جنتا بجلی کی سمسیہ سے بےحال ہے تو کیا کیندریہ سرکار کو یہ پروجیکٹ این۔ٹی۔پی۔سی۔ کو نہیں دے دینا چاہئے یا اترپردیش سرکار کو اسے خود بنا لینا چاہئے۔

آخر میں، میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ دادری (اترپردیش) میں پاور پروجیکٹ استھاپت کرنے کے لئے سرکار ادھیگرہت کی گئی زمین کو اپنے ادھیکار میں لے کر اس پر پاور پروجیکٹ کے نرمان کی کاروائی تتکال شروع کرے، جس سے پردیش کی اورجا آوشیکتاؤں کی پورتی ہو سکے۔

(ختم شد)

Concern over discrimination in education loan for agriculturist's children

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, education loan for students from the Nationalised Banks are available on various terms according to the amount needed. Even though the Government promised to give loan for the students to the tune of Rs. 3 lacs without any security, on the basis of the earnability after completion of the course, the banks are demanding security and not accepting agricultural land. When the agriculturist's children are trying to pursue education in the USA, the UK and other countries, it costs more than Rs. 15 lacs for the course. But the banks totally reject the request saying that agricultural lands are not acceptable as security. It is a clear

†Transliteration in Urdu Script.

discrimination and exclusion of rural students who cannot possess commercial properties. Hence I request the hon. Minister for Finance to direct the banks to accept the agricultural land as security for education loan and disburse the amount quickly so that the rural students can benefit in global market.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं श्री नाच्चीयप्पन जी के स्पेशल मेंशन को एसोसिएट करता हूं।

Demand to give status of Scheduled Tribes to Muslims belonging to Mev and Mevasi castes

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मेरा विशेष उल्लेख मेवों को मीणा जाति के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के संबंध में है।

महोदय, ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक मेव और मेवासी जातियां मेवाती की तरह आदिवासी समूह हैं। मेवातियों को जहां जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वहीं मुस्लिम होने के कारण मेव और मेवासी इस सुविधा से वंचित हैं। महोदय, ये तीनों जातियां मीणों की तरह जनजातियां हैं। अकबर के काल तक तो मेव और मीणों में विवाह संबंध भी होते थे। चन्दबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मेवासी जाति का उल्लेख किया है। इमरत खां ने "तारीख-ए-मेव" में लिखा है कि मेव और मीणा कौम के पूर्वज एक ही थे, जिनका पेशा नाव चलाना था। अंग्रेजों ने जनजाति अपराध कानून के तहत मेव और मीणा दोनों जातियों को अपराधी जनजातियों की सूची में डाला था। आजादी के बाद यह कानून रद्द हो गया। मीणों को जहां जनजातियों की सुविधा दी गई, वहीं मुस्लिम होने के कारण मेव और मेवासियों को यह लाभ नहीं मिला। यह खेदजनक और दुखद है कि एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ के बावजूद जहां एक ओर मीणा जनजाति का दर्जा पाकर सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर आसीन हैं, वहीं दूसरी ओर मेव अभी भी घोर सरकारी अपेक्षा के शिकार हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, समान आर्थिक-राजनैतिक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकार गैर हिन्दुओं को भी आरक्षण का लाभ दे सकती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेव और मेवासी जाति के पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें भी संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : महोदय, मैं श्री अंसारी जी के स्पेशल मेंशन से अपने आपको ऐसोसिएट करता हूं।

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at five minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 28th July 2009.